भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3573

उत्तर देने की तारीख: 15.07.2019

चिकित्सा पाठ्यक्रमों की लागत पर सर्वेक्षण

3573. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह आकलन करने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है कि क्या मध्यमवर्गीय सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले मेधावी छात्र अवर स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम कर सकते हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में अवर स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम की लागत कम करने के लिए एक नीति कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर समझौता किए बिना नए मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकताओं को कम करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और **(ख)** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जानकारी एकत्र की गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों पर सब्सिडी दी जाती है।

निजी अनएडेड मेडिकल कॉलेजों के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा शुल्क संरचना तय की जाती है। यह समिति तय करती है कि किसी संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क उचित है या नहीं। समिति द्वारा निर्धारित शुल्क संस्थान के लिए बाध्यकारी है। भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) के नियमों के अनुसार,

निजी चिकित्सा संस्थान पर स्नातक छात्रों को स्टाइपेंड राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर के स्तर पर भुगतान करेंगे।

(ग) नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया गया है:

(i) संकाय की कमी का ख्याल रखते हुए संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डिप्लोमेट ऑफ नैशनल बोर्ड (डीएनबी) योग्यता को मान्यता दी गई है।

(ii) एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम सीटों की संख्या में 150 से 250 की वृद्धि।

(iii) संकाय, स्टाफ, मरीज़ के बिस्तर की संख्या और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए निर्धारित मांपदंडो में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के हेतु छूट ।

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243पी (सी) के तहत अधिसूचित महानगरीय शहरों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(v) डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करने वाले कंसल्टेंट / स्पेशलिस्ट जिनके पास 18 वर्ष का अनुभाव एवं 4 रिसर्च पब्लिकेशन हों उन्हे प्रोफेसर के रूप में एवं जिनके पास 2 रिसर्च पब्लिकेशन के साथ 10 वर्षों से अधिक वर्षों का अनुभव है उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नामित करने की अनुमति दे दी गई है।

(vi) मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों / डीन / प्रिंसिपल / निदेशक के पदों पर नियुक्ति / विस्तार / पुन: रोजगार हेतु के लिए आयु सीमा 70 वर्ष तक कर दी गई है।

***